

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मीना देवी सेठ एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं एक अन्य

2018 की आपराधिक विविध सं. 48439

27 मार्च 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध अभियोजन जारी रह सकता है, जब उनके विशिष्ट कृत्यों का उल्लेख नहीं है।

हेडनोट्स

याचिकाकर्त्री संख्या 1, सूचक के पति की बुआ हैं और याचिकाकर्त्री संख्या 2 एवं 3, सूचक की विवाहित ननदें हैं, जो अपने-अपने ससुराल में अलग-अलग रह रही हैं, अर्थात् पश्चिम चंपारण (बिहार), रांची और नागपुर में। प्राथमिकी को पढ़ने से प्रतीत होता है कि किसी भी याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई विशेष और स्पष्ट आरोप नहीं लगाए गए हैं और इस कारण प्रत्येक अभियुक्त की भूमिका निर्धारित करना कठिन है। (पैरा 9)

यदि अभियोजन अवैध पाया जाता है तो पति के रिश्तेदारों के विरुद्ध अभियोजन को देर से भी निरस्त किया जा सकता है। (पैरा 11)

न्याय दृष्टान्त

कहकशां कौसर उर्फ सोनम बनाम बिहार राज्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 162: आनंद कुमार मोहता बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), 2019 11 एससीसी 706

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860; दहेज निषेध अधिनियम, 1961

मुख्य शब्दों की सूची

कार्यवाही निरस्त; सामान्य आरोप; न्याय की प्रक्रिया का दुरुपयोग; दहेज निषेध अधिनियम; धारा 498-ए, भारतीय दंड संहिता

प्रकरण से उत्पन्न

रामपुर थाना कांड संख्या 145/2013, जिला - गया

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री एस. डी. संजय, वरिष्ठ अधिवक्ता; सुश्री प्रिया गुप्ता, श्री लोकेश कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री नागेन्द्र प्रसाद, स. लो. अ.

विपक्षी सं. 2 की ओर से : श्री दीपक कुमार, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की आपराधिक विविध वाद सं. 48439

थाना कांड सं.-145 वर्ष-2013, थाना-रामपुर जिला-गया से उद्भूत

=====

1. मीना देवी सेठ उर्फ मीना सेठ, पति- एस. एन. सेठ, मोहल्ला-मिसकोट, मोतिहारी, थाना-मोतिहारी, जिला-पूर्वी चंपारण की निवासी
2. नीना खन्ना उर्फ नीना कुमार उर्फ गुरिया पति- सुजीत कुमार, निवासी- जे. पी. सिंह, क्वार्टर सं. ई-349/2, सेक्टर 2, धुरवा, थाना -जयनाथपुर, जिला-रांची की निवासी
3. रीमा साहनी उर्फ रीना साहनी पति- विक्रान्त सुरेंद्र कुमार साहनी, निवासी- 524, क्लार्क टाउन नागपुर, डाकघर- बेजोनबाग, थाना -जरीपटका, जिला-नागपुर की निवासी

..... याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. बंदना खन्ना पति- श्री समीर खन्ना पिता- राधे श्याम टंडन, मोहल्ला-गेवाल बीघा, मुन्नी मस्जिद गली, थाना -रामपुर, जिला- गया की निवासी

.....विपक्षीगण

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री एस. डी. संजय, वरिष्ठ अधिवक्ता

सुश्री प्रिया गुप्ता, अधिवक्ता

श्री लोकेश कुमार, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्री नागेंद्र प्रसाद, स. लो. अ.

विपक्षी सं. 2 के लिए : श्री दीपक कुमार, अधिवक्ता

=====

समक्ष : माननीय न्यायमूर्ति श्री संदीप कुमार

मौखिक निर्णय

दिनांक : 27-03-2023

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता राज्य के विद्वान स. लो. अ. और विपक्षी पक्ष सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. यह आवेदन गया के विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गया द्वारा पारित दिनांक 20.12.2016 के आदेश को अपास्त करने के लिए दायर किया गया है। जो 2013 के रामपुर थाना कांड सं. 145 से उद्भूत 2016 का परीक्षण सं. 3964, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ समन जारी किए गए हैं, हालांकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 498-ए और 379/34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराधों के लिए 19.11.2013 को ही याचिकाकर्ताओं के खिलाफ संज्ञान लिया जा चुका है

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि सूचक (विपक्षी पक्ष सं. 2) की शादी हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार वर्ष 2002 में सह-आरोपी समीर खन्ना से हुई थी। उनकी शादी से दो बच्चों का जन्म हुआ। आरोप है कि सूचक का पति आदतन शराबी और व्यभिचारी था और वह दहेज की मांग को लेकर सूचक के साथ मारपीट करता था। यह भी आरोप है कि सूचक ने यह बात अपने ससुराल वालों को बताई लेकिन वे सभी उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। यह भी आरोप लगाया गया है कि 23.05.2013 को, सूचक ने अपने पति को घर में एक नौकरानी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। जब सूचक ने आपत्ति जताई, तो सभी आरोपी व्यक्तियों ने उसके साथ मारपीट की और उसे उसके ससुराल से निकाल दिया गया। यह आगे आरोप लगाया गया है कि 14.07.2013 को जब सूचक अपने माता-पिता के साथ अपने पति के घर पहुँची, तो आरोपी व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया।

4. आज, याचिकाकर्ताओं द्वारा एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया गया है जिसमें इस आवेदन के प्रार्थना भाग में संशोधन की मांग की गई है, जिसमें विद्वान एस. डी. जे. एम., गया द्वारा पारित दिनांक 05.04.2022 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा आरोप याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 379/34, 498-A के तहत और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के साथ-साथ विद्वान सत्र न्यायाधीश, गया द्वारा 2022 के आपराधिक संशोधन सं. 55 में पारित आदेश के तहत अपराधों के लिए आरोप तय किया गया है, जिसके द्वारा उपरोक्त आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

5. अंतर्वर्ती आवेदन को स्वीकार किया जाता है और उक्त अंतर्वर्ती आवेदन में किए गए कथन को मुख्य आवेदन का हिस्सा माना जा रहा है।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता सं. 1 सूचक के पति की चाची (बुआ) है और याचिकाकर्ता सं. 2 और 3 सूचक की विवाहित ननदें हैं और वे अपने ससुराल में अलग-अलग रह रही हैं। उन्होंने आगे दलील दी कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापी आरोप हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि याचिकाकर्ता सं. 1 लगभग 72 वर्ष की एक सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं और वह पश्चिम चंपारण जिले में रह रही हैं और याचिकाकर्ता सं. 2 और 3 रांची और नागपुर में रहते हैं और इसलिए, उनका सूचक के परिवार के मामलों से कोई लेना-देना नहीं है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पूरा अभियोजन न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि यह पति और पत्नी के बीच का विवाद है।

7. विपक्षी पक्ष सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने इस आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि इस मामले में आरोप तय हो चुके हैं और मुकदमा चल रहा है इसलिए, यह न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

8. मैंने पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का भी अध्ययन किया है।

9. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता सं.1, सूचक के पति की चाची (बुआ) है। और याचिकाकर्ता सं. 2 और 3 सूचक की विवाहित ननदें हैं और वे अपने ससुराल यानी पश्चिम चंपारण (बिहार), रांची और नागपुर में अलग-अलग रह रहे हैं। प्राथमिकी पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विशिष्ट और अलग आरोप नहीं लगाए गए हैं और इसलिए, प्रत्येक आरोपी व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका का पता लगाना मुश्किल है।

10. उपरोक्त तथ्यों और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कहकशां कौसर उर्फ सोनम बनाम बिहार राज्य** मामले में निर्धारित कानून पर भी विचार करते हुए जो **2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 162** में दर्ज किया गया है इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अभियोजन जारी नहीं रखा जा सकता है।

11. विपक्षी पक्ष सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि चूंकि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं और मुकदमा चल रहा है, इसलिए यह न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **आनंद कुमार मोहट्टा बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)** मामले में दिए गए निर्णय जो **2019 11 एस. सी. सी. 706** में दर्ज, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अभियोजन अवैध पाया जाता है तो पति के रिश्तेदारों के अभियोजन को अंतिम चरण में भी रद्द किया जा सकता है।

12. ऊपर चर्चा किये गये कारणों से, इस आवेदन को अनुमति दी जाती है।

13. तदनुसार, 2013 का रामपुर थाना कांड सं. 145 से उद्भूत 2016 का

परीक्षण सं. 3964 में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गया द्वारा पारित दिनांक 20.12.2016 का आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ समन जारी किए गए हैं, विद्वान एस. डी. जे. एम., गया द्वारा पारित दिनांक 05.04.2022 का आदेश जिसके द्वारा, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप निर्धारित किये गए हैं और विद्वान सत्र न्यायाधीश, गया द्वारा 2022 का आपराधिक पुनरीक्षण सं. 55 में पारित दिनांक 22.11.2022 का आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया गया है, को एतद् द्वारा रद्द किया जाता है।

14. नतीजतन, भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 498-ए/34 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत अपराधों के लिए दर्ज 2013 का रामपुर थाना कांड सं. 145 के तहत दर्ज प्राथमिकी और उक्त प्राथमिकी से उत्पन्न होने वाली कार्यवाहियों को भी न्याय के हित में अपास्त किया जाता है।

(संदीप कुमार, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।